<u>न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर</u>

अपील एल0 आर0 संख्या 292/2020 जिला भीलवाड़ा

रतनलाल पुत्र लालूराम जाति जाट निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
....अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा
....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाड़ा दिनांक 03.02.2020 जो प्रकरण संख्या 12/2019 में पारित किया गया।

उपस्थित अभिभाषकः–श्री मदन लाल गुर्जर(अपीलांट अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

<u>निर्णय</u> दिनांकः–01.06.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पोटला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के पुराने खसरा नम्बर 301/3 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 309/6 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 , कुल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि विक्रेता रामचन्द्र पिता मांगीलाल द्वारा लालूराम किता किशना जाट ग्राम गुढ़ा तहसील सहाड़ा को विक्रय की गई थी। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 30.12.1977 को किया गया था। वर्तमान अपीलांट क्रेता लालू जाट का पुत्र है। नये बन्दोबस्त के बाद पुराने खसरा नम्बरों 301/3,309/6 के नये नम्बर खसरा संख्या 1352 रकबा 0.38 हे0 ,1353 रकबा 0.01 हे0, 1347 रकबा 0.15 हे0 कायम किये गये। कुल रकबा 1.54 हे0 बनता है जो पुराने रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा के बराबर बनता है। लेकिन जो नक्शा बनाया गया है वह नक्शा गलत बना दिया गया है। नवीन नक्शे मे आराजी खसरा संख्या 1352 का जो नक्शा बनाया गया है। उसका नाप करने पर रकबा 1.22 हे0 बनता है। जबकि राजस्व रिकोर्ड के अनुसार रकबा 1.39 हे0 है। इस प्रकार नवीन नक्शे में रकबा 0.17 हे0 भूमि कर दी गई है। नवीन बन्दोबस्त में अपीलांट की आराजी संख्या 1352 के पूर्वी ओर बीलानाम आराजी नम्बर 1351 रकबा 0.15 हे0 को बिठा दिया गया है जो कि गलत है। क्योंकि अपीलांट की पुरानी आराजी की पूर्वी तरफ पीछे से जुड़ा जाने का रास्ता है। लेकिन अपीलांट की भूमि और रास्ते की भूमि के बिच बीलानाम खसरा नम्बर 1351 बिठा दिया गया है जिससे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अपीलांट का कब्जा आज भी साबिक नक्शे के रूप में कायम है तथा अपनी आराजी में पत्थर की दीवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:28 IST
Reason: SelfAttested

और डोल बना रखी है। लेकिन दिनांक 01.02.2016 को ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी कहने पर उसके द्वारा राजस्व रिकोर्ड की नकल प्राप्त की तो उसे पता चला कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत नक्शा बनाया गया। इसके बाद अपीलांट द्वारा उपखण्ड न्यायालय गंगापुर में प्रकरण संख्या 12/2019 अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट का प्रार्थना पत्र दायर किया गया। मगर उपखण्ड अधिकारी द्वारा अनुचित रूप से बिना विधिक प्रक्रिया अपनायें, बिना जांच किये अपीलांट का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.03.2020 को खारिज कर दिया गया। जिसका मुख्य आधार तरमीमशुदा कोई साक्ष्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाने का कोई साक्ष्य अंकित किया है। उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.02.2020 से व्यथित होकर निम्न आधारो पर अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करना बताया है–

1. साक्ष्य नहीं दिये जाने के आधार पर उपखण्ड अधिकारी के द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, जो गलत है।
2. तरमीमशुदा साक्ष्य की मांग की गई, जो गलत है।
3. अपीलांट के कब्जे को साक्ष्य के रूप में नहीं माना गया, जो गलत है।
4. अपने स्तर से भी कोई जांच नहीं करवायी। अतः अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.02.2020 को निरस्त किया जाये।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाये। अपील के साथ उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के अपीलाधीन आदेश की प्रति जमाबंदी संवत 2070–73 खसरा नम्बर 1351 रजिस्टर्ड सैल डीड दिनांक 30.12. 1977 नक्शा ट्रेश विवादित खसरा नम्बरान दिनांक 23.01.2019 एल आर एक्ट की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 140/2010 में दिनांक 16.09.2010 को जारी अपीलांट को नोटिस अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2037–2040 मिलान खसरा नक्शा ट्रेश ग्राम पोटला जमाबंदी 2070–73 प्रस्तुत किये।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम के संदर्भ में पत्रावली को देखा गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.02.2020 का है। अपीलांट द्वारा दिनांक 20.02.2020 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। अतएव अपील को अंदर मियाद प्रस्तुत किया जाना माना जायेगा।

बहस उभय पक्ष अभि0 सुनी गई, वकील अपीलांट के द्वारा मुख्य रूप से यह बताया कि वे खातेदारी नहीं मांग रहे है। सैटलमेंट की गलती से यह हुआ है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार से यह रिपोर्ट मंगवायी जानी चाहिए थी जो नहीं किया गया है। अपील स्वीकार की जायें। राजकीय अभि0 ने बहस में बताया कि धारा 136 एल आर एक्ट के प्रार्थना पत्र में मात्र एंट्रीज का संशोधन किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा दावे में प्राप्त किया जाने वाला अनुतोष मांगा जा रहा है। अपीलांट के खिलाफ 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही भी चल रही है। अपीलांट को ट्राइल कोर्ट में यह सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए थे जो नहीं किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:28 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया, अधीनस्थ न्यायालय में पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश कर बताया गया कि

आराजी नम्बर 1351 रकबा 0.15 हे0 बिलानाम होकर अपीलांट अतिक्रमी की हैसियत से उस पर कब्जा कर रखा है। जिस हेतु उसके खिलाफ धारा 91 के तहत कार्यवाही जारी है। मगर अपीलांट के ही नाम दर्ज आराजी नम्बर 1347 रकबा 0.15 हे0 भूमि अपीलांट के कब्जे नहीं होने से जिसके बदले बिलानाम भूमि आराजी नमबर 1351 रकबा 0.15 हे0 से अपने नाम करवाना चाहता है जो गलत है तथा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1352,1351 है। खसरा नम्बर 1351 रकबा 0.15 हे0 बिलानाम भूमि है। स्वयं अपीलांट के अनुसार उसके कब्जे के आधार पर 91 एल0आर0एक्ट के तहत प्राप्त नोटिस से उसे जानकारी हुई थी कि वह बिलानाम भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से बैठा है। राजस्व रिकोर्ड के अनुसार अपीलांट का खसरा नम्बर व रकबा सही बैठता है मगर नक्शे में कम बैठता है। इस बिन्दु को आधार मानते हुए कि अपीलांट द्वारा अपील दर्ज करवायी गई है। खसरा नम्बर 1352 का नक्शे के अनुसार नाप 1.22 हे0 बनना बताया गया है जबकि रकबा 1.39 हे0 है। इस प्रकार नवीन नक्शे में 0.17 हे0 भूमि कम कर दी है ऐसा अपीलांट द्वारा बताया गया है। लालूराम पिता किशना जाट द्वारा पुराने खसरा नम्बर 301/3 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा एवं 309/6 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि रामचन्द्र पिता मांगीलाल से खरीद की गई थी। लालूराम का पुत्र वर्तमान अपीलांट है।

अपीलांट आराजी संख्या 1352,1353,1347 के नक्शे को दुरस्त करवा साबिक आराजी संख्या 301/3 व 309/6 के अनुरूप बनाया जाये। साथ ही बिलानाम आराजी संख्या 1351 को अपीलांट के नक्शे से हटाया जाने का आदेश प्रदान कराया जाने बाबत अनुतोष चाहता है। जबकि सैटलमेंट ऑपरेशन के बाद खसरा नम्बर और नक्शे में मौके के अनुसार बदलाव होता है।

अपीलांट साबिक खसरा मेप के आधार पर अनुतोष चाहता है कि किंतु खसरा नम्बर 1531 वर्तमान में बिलानाम दर्ज भूमि जिस पर किसी व्यक्ति को लाभ नहीं दिया जा सकता है। न्यायालय इस बात से सहमत है कि अपीलांट अपनी खातेदारी की भूमि बाबत रकबे को राजस्व रिकोर्ड के रकबे के बराबर रखना चाहता है। जिस हेतु उसे दावा करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। वादग्रस्त भूमि बिलानाम होने से अपील खारिज योग्य है। अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर दिनांक 03.02.2020 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 12/2019 सारहीन होने से खारिज की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 31.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:28 IST
Reason: SelfAttested

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर